



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276133
CG-DL-E-12092026-276133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4785]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4785]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4975(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का48) (जिसे आगे उक्त एकट कहा गया है) की धारा 3A उपधारा (1) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक मकसद के लिए तेलंगाना राज्य के यादद्री भुवनगिरी जिले में NH65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन (जिसे चार से छह लेन का किया जा रहा है) के कि.मी. 39/540 से कि.मी. 62/200 तक के हिस्से में सड़क बनाने (चौड़ा करने/चार लेन/छह लेन आदि करने), रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए नीचे दी गई अनुसूची में बताई गई ज़मीन की ज़रूरत है, एतद्वारा ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् राजस्व मंडल अधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के यादद्री भुवनगिरी जिले में में नेशनल हाईवे नंबर 65 के हैदराबाद-विजयवाड़ा सेक्शन को चार से छह लेन का बनाने के लिए, कि.मी. 39/540 से कि.मी. 62/200 तक की ज़मीन (जिस पर बनी संरचनाएं शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी) के अधिग्रहण का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: तेलंगाना			जिले का नाम: यादद्री भुवनगिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चौदुप्पल					
गांव का नाम: येल्लागीरी					
1	112	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
2	113	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
3	115	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	404.68 (वर्ग मीटर)	0.040468
4	116	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	202.34 (वर्ग मीटर)	0.020234
5	121	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	404.68 (वर्ग मीटर)	0.040468
गांव का नाम: लक्कराम					
6	129	सरकारी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	2529.25 (वर्ग मीटर)	0.252925
7	134	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	404.68 (वर्ग मीटर)	0.040468
8	136	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	2933.93 (वर्ग मीटर)	0.293393
9	175	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	3035.1 (वर्ग मीटर)	0.30351
गांव का नाम: चौदुप्पल					
10	237	निजी	रेसीडेंसीयल ()	809.36 (वर्ग मीटर)	0.080936
11	239	निजी	रेसीडेंसीयल ()	1112.87 (वर्ग मीटर)	0.111287
12	257	निजी	रेसीडेंसीयल ()	1214.04 (वर्ग मीटर)	0.121404
13	258	निजी	रेसीडेंसीयल ()	607.02 (वर्ग मीटर)	0.060702
14	292	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	354.095 (वर्ग मीटर)	0.0354095
गांव का नाम: लिंगोजीगुडेम					
15	313	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	3035.1 (वर्ग मीटर)	0.30351
16	314	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	3642.12 (वर्ग मीटर)	0.364212
17	359	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्चर ()	5058.5 (वर्ग मीटर)	0.50585

गांव का नाम: मल्कापुर					
18	146	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	5564.35 (वर्ग मीटर)	0.556435
19	147	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	607.02 (वर्ग मीटर)	0.060702
20	170	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	910.53 (वर्ग मीटर)	0.091053
21	171	सरकारी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	101.17 (वर्ग मीटर)	0.010117
22	26	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	4046.8 (वर्ग मीटर)	0.40468
23	27	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	303.51 (वर्ग मीटर)	0.030351
24	379	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	1416.38 (वर्ग मीटर)	0.141638
25	381	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	910.53 (वर्ग मीटर)	0.091053
26	382	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	1416.38 (वर्ग मीटर)	0.141638
27	383	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	1821.06 (वर्ग मीटर)	0.182106
28	56	निजी	नॉन ऐग्रेगिक्लचर ()	1315.21 (वर्ग मीटर)	0.131521
Total					4.4565385

[फा. सं. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th September, 2026

S.O. 4975(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning/Six laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 65 in the stretch of land from Km. 39/540 to Km. 62/200 (Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section) in the District of Yadadri Bhuvanagiri in the state of Telangana, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Revenue Divisional Officer, Choutuppal in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 39/540 to Km. 62/200 for Four to six laning of Hyderabad-Vijayawada Section of National Highway No. 65 in the District of Yadadri Bhuvanagiri in the state of Telangana.

State: TELANGANA			District: YADADRI BHUVANAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Choutuppal					
Village: Yellagiri					
1	112	Private	Non Agriculture ()	202.34 (Square Meter)	0.020234
2	113	Private	Non Agriculture ()	202.34 (Square Meter)	0.020234
3	115	Private	Non Agriculture ()	404.68 (Square Meter)	0.040468
4	116	Private	Non Agriculture ()	202.34 (Square Meter)	0.020234
5	121	Private	Non Agriculture ()	404.68 (Square Meter)	0.040468
Village: Lakkaram					
6	129	Government	Non Agriculture ()	2529.25 (Square Meter)	0.252925
7	134	Private	Non Agriculture ()	404.68 (Square Meter)	0.040468
8	136	Private	Non Agriculture ()	2933.93 (Square Meter)	0.293393
9	175	Private	Non Agriculture ()	3035.1 (Square Meter)	0.30351
Village: Choutuppal					
10	237	Private	Residential ()	809.36 (Square Meter)	0.080936
11	239	Private	Residential ()	1112.87 (Square Meter)	0.111287
12	257	Private	Residential ()	1214.04 (Square Meter)	0.121404
13	258	Private	Residential ()	607.02 (Square Meter)	0.060702
14	292	Private	Non Agriculture ()	354.095 (Square Meter)	0.0354095
Village: Lingoigudem					
15	313	Private	Non Agriculture ()	3035.1 (Square Meter)	0.30351
16	314	Private	Non Agriculture ()	3642.12 (Square Meter)	0.364212
17	359	Private	Non Agriculture ()	5058.5 (Square Meter)	0.50585
Village: Malkapur					
18	146	Private	Non Agriculture ()	5564.35 (Square Meter)	0.556435
19	147	Private	Non Agriculture ()	607.02 (Square Meter)	0.060702
20	170	Private	Non Agriculture ()	910.53 (Square Meter)	0.091053
21	171	Government	Non Agriculture ()	101.17 (Square Meter)	0.010117
22	26	Private	Non Agriculture ()	4046.8 (Square Meter)	0.40468
23	27	Private	Non Agriculture ()	303.51 (Square Meter)	0.030351
24	379	Private	Non Agriculture ()	1416.38 (Square Meter)	0.141638
25	381	Private	Non Agriculture ()	910.53 (Square Meter)	0.091053
26	382	Private	Non Agriculture ()	1416.38 (Square Meter)	0.141638
27	383	Private	Non Agriculture ()	1821.06 (Square Meter)	0.182106
28	56	Private	Non Agriculture ()	1315.21 (Square Meter)	0.131521
Total					4.4565385

[F. No. NHAI/PIU-HYD/HYD-VIJ/ 6L/NH-65/efile-287143/2025-26/3A1]

SHAIKH AMINKHAN, Director